



# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 01 अप्रैल, 2013 ई0

चैत्र 11, 1935 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 145/XXXVI(3)/2013/20(1)/2013

देहरादून, 01 अप्रैल, 2013

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित “उत्तराखण्ड ऊर्जा विकास निधि (संशोधन) विधेयक, 2013” पर दिनांक 28 मार्च, 2013 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 19, वर्ष 2013 के रूप में सर्व-साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।



## उत्तराखण्ड ऊर्जा विकास निधि (संशोधन) अधिनियम, 2013

{उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 19 वर्ष 2013}

उत्तराखण्ड ऊर्जा विकास निधि अधिनियम, 2003 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 21 वर्ष 2003) में अग्रेतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नवत् रूप से अधिनियमित हो-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड ऊर्जा विकास निधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

धारा 7 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड ऊर्जा विकास निधि अधिनियम, 2003 की धारा 7 की उपधारा

(3) के स्थान पर निम्नवत् उपधारा प्रतिस्थापित कर दी जायेगी; अर्थात्:-

“(3) राज्य सेक्टर में जल विद्युत परियोजनाओं एवं वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर आधारित विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के विकास, विद्युत निकासी तंत्र के निर्माण तथा विद्युत पारेषण तंत्र के विकास के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से सहयोगी ऐसी योजनाओं/परियोजनाओं के लिए, जो सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी।”

आज्ञा से,

डी0 पी0 गैरोला,  
प्रमुख सचिव।

No. 145/XXXVI(3)/2013/20(1)/2013

Dated Dehradun, April 01, 2013

NOTIFICATIONMiscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of ‘**The Uttarakhand Power Development Fund (Amendment) Act, 2013**’ (Adhiniyam Sankhya 19, of 2013)

As Promulgated by the Governor of Uttarakhand and assented on  
28 March, 2013.



**The Uttarakhand Power Development Fund (Amendment) Act, 2013**

**[Uttarakhand Act No. 19 of 2013]**

**An**

**Act**

further to amend the Uttarakhand Power Development Fund Act, 2003 (Act No. 21 of 2003).

Be it enacted by the Uttarakhand State Legislative Assembly in the Sixty-fourth Year of the Republic of India, as follows :-

**Short title and  
Commencement**

1. (1) This Act may be called the Uttarakhand Power Development Fund (Amendment) Act, 2013.
- (2) It shall come into force at once.

**Amendment of  
section 7**

2. In place of sub-section (3) of section 7 of the Uttarakhand Power Development Fund Act, 2003, the following sub-section shall be substituted; namely :--  
“(3) For any other schemes/projects directly/indirectly co-operating in the development of Hydro Power Projects and development of power projects based on Renewable Energy Sources, construction of power evacuating system and development of power transmission system in State sector as determined by the Government.”

By Order,

**D. P. GAIROLA,**  
*Principal Secretary.*